न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/ अपर जिला जज, कोर्ट नं01, बिजनौर।

उपस्थित :– राजीव शर्मा (एच0जे0एस0)

एम0ए0सी0 संख्याः 297/ 2016

1– तपसचर्या आयु 31 वर्ष पत्नी कुलदीप सिंह नि0 मकान नं0 354 क0 ग्राम रामपुर भोला उर्फ देवनगर कालोनी धामपुर परगना व तहसील धामपुर जिला बिजनौर।

––––––याची,

बनाम

1– राजकुमार पुत्र शिवचरन निवासी ग्राम शाहपुर थाना टांडा तहसील टांडा जिला रामपुर (चालक ट्रक सं0 यू0के0–06–सी0ए0–4135)

2– करनैल सिंह पुत्र उधम सिंह निवासी मकान नं0 58 मुंशी गंज साहब गंज थाना तहसील ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद केअर टाफ गुड्डू धमौरा मिल रामपुर हाल निवासी रामनगर रोड काशीपुर थाना काशीापुर जनपद उद्यमसिंह नंगर उत्तराखण्ड, (स्वामी ट्रक सं0 यू0के0–06–सी0ए0–4135)

3–ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 द्वारा शाखा प्रबन्धक शाखा कार्यालय थाना कोतवाली के सामने बिजनौर जिला बिजनौर (ट्रक सं0 यू0के0–06–सी0ए0–4135 की बीमा कम्पनी)

–––––– प्रतिवादीगण,

निर्णय

प्रस्तुत याचिका याचिनी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध अंकन रूपये 10,69,836/–(दस लाख उन्हत्तर हजार आठ सो छततीस) प्रतिकर एवं याचिका दायर करने की दिनांक से वसूली की दिनांक तक 9(नो) प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने हेतु संस्थित की है।

संक्षेप में याचिनी का कथन है कि याचनी दिनांक 20–08–2015 को शाम 6–30 बजे बेगराज सिंह के पुत्र राजेश, नीरज देवी पत्नी राजेन्द्र, कु0 रश्मि आयु 03 वर्ष सचिन ड्राईवर आयु 25 वर्ष, राजेश आयु 4 वर्ष के साथ कार सं0 यू0पी0 25–एम0–9650 से काशीपुर से धामपुर आ रही थी, जब कार रेहड पैट्रौलपम्प के सामने पहुंची विपरीत दिशा से आ रहे इण्डेन गैस सिलेण्डरों से भरे ट्रक सं0 यू0के0 06 सी0ए0 4135 के चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रक को चलाते हुए कार में टक्कर मार दी, जिससे कार पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी और कार में सवार सभी व्यक्ति घायल हो गये। याची को पहले गढी पी0एच0सी0 ले गये। वहॉ से कॉसमोस हॉस्पिटल मुरादाबाद ले गये और उसके बाद गुडगांव में स्थित मेदान्ता अस्पताल में इलाज हेतु ले गये तथा कुछ घायलों का इलाज काशीपुर में निजी अस्पताल में चला। ट्रक का चालक राजकुमार मौके पर ट्रक छोडकर फरार हो गया। घटना की रिपोर्ट बेगराज सिंह पुत्र डालचन्द निवासी शीरबासुचन्द थाना अफजलगढ ने थाना रेहड में मु0अप0सं0 144/ 15 दर्ज करायी, जो कि दिनांक 21–08–2015 को 11–30 पर दर्ज हुई। दुर्घटना में आयी चोटों के कारण याची मेदान्ता हॉस्पिटल में गम्भीर अवस्था में भर्ती हुई तथा दिनांक 21–08–2015 से दिनांक 25–04–2016 तक बिल के अनुसार याची के इलाज पर अंकन रूपये 8,29,636/–(आठ लाख

उन्तीस हजार छः सो छततीस) खर्च हुये। खर्च के बिल याचिका के साथ संलग्न हैं। याची के आने जाने में लगभ रूपये 40,000 (चालिस हजार) तथा मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु दो लाख रूपये कुल रूपये 10,69,836/–(दस लाख उन्तहर हजार आठः सो छत्तीस) विपक्षीगण संयुक्त अथवा पृथक पृथक रूप से अदा करने के लिए जिम्मेदार हैं।

विपक्षीगण सं0 1 व 2 की ओर से प्रतिवादपत्र ख–31 दाखिल किया गया तथा याचिका में वर्णित समस्त कथनों को अस्वीकार करते हुये यह विशेष कथन किया गया है कि याची को याचिका प्रस्तुत करने का कोई कारण प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रतिवादी नं0 1 व 2 के वाहन की गलती से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुई है, बल्कि सत्यता यह है कि कार संख्या यू0पी0 25 एम0 9650 जो कशीपुर से धामपुर आ रही थी को उसका ड्राईवर बडी तेजी व लापरवाही से गलत साईड से चलाकर ला रहा था। प्रतिवादीगण सं0 2 के ड्राईवर प्रतिवादी नं0 1 ने काफी प्रयास अपने ट्रक को कार से बचाने के लिए किया। परन्तु कार चालक ने तेजी व लापरवाही से गलत साईड कार लाकर प्रतिवादी नं0 2 के ट्रक में टक्कर मार दी, जिससे कार चालक व उसमें बैठे व्यक्तियों को चोटे आई। प्रतिवादी नं0 2 के ट्रक व उसके ड्राईवर प्रतिवादी नं0 1 की लापरवाही से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है, बल्कि प्रतिवादी नं0 1, एक कुशल चालक है और उसके पास वैध ड्राईविंग लाईसैंस है। प्रतिवादी नं0 1 उक्त ट्रक बडी सावधानी व नियंत्रित गति से चला रहा था। परन्तु कार के ड्राईवर ने कार को तेजी व लापरवाही से चलाकर ट्रक में टक्कर मार दी। जबकि ट्रक के ड्राईवर ने ट्रक को मौके पर रोक लिया था, फिर भी कार चालक ने खडे ट्रक में तेजी व लापरवाही से कार चलाकर गलत साईड में आकर टक्कर मारी है और दुर्घटना कार चालक की तेजी व लापरवाही व गलत साईड में टक्कर मार देने के कारण हुई है और कार भी टक्कर मारने के कारण क्षतिग्रस्त हुई और इसी कारण सभी लोग घायल हुए प्रतिवादी सं0 1 की लापरवाही से कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है। याची ने अपने इलाज का खर्च व आने जाने का खर्च व मानसिक क्षतिपूर्ति अत्याधिक क्लेम की है तथा याची की आयु गलत तहरीर की है, जबकि याची की आयु अत्यधिक है तथा याची पर कोई व्यक्ति आश्रित नहीं है। प्रतिवादी नं0 2 का ट्रक दुर्घटना की दिनांक पर ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा बीमित था यदि न्यायालय की राय में क्लेम धनराशि प्रतिवादीगण/उत्तरदाता देने के लिये अधिकारी पाये जाये तो उक्त धनराशि अदा करने की जिम्मेदारी ट्रक की बीमा कम्पनी की है। दुर्घटना कार चालक की तेजी व लापरवाही का परिणाम है। इस कारण याची कोई धनाराशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है।

विपक्षी सं03 ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड की ओर से प्रतिवादपत्र ख–25 दाखिल किया गया तथा याचिका में वर्णित समस्त कथनों को अस्वीकार करते हुये यह विशेष कथन किया गया है कि याची द्वारा उपरोक्त याचिका विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध दायर की गयी है। कार संख्या यू0पी0 25 एम0–9650 व

ट्रक सं0 यू0के0 06—सी0ए0—4135 के बीच कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई है। कथित दुर्घटना के दिनांक को ट्रक सं0 यू0के0 06—सी0ए0—4135 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था। वाहन स्वामी द्वारा वाहन को बिना अनुज्ञप्ति धारक चालक को देकर बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, इसलिए विपक्षी बीमा कम्पनी प्रतिकर के लिए दायी नहीं है। वाहन ट्रक सं0 यू0के0 06—सी0ए0—4135 विपक्षी बीमा कम्पनी से बीमित नहीं था। प्रतिकर की धनराशि अत्याधिक, काल्पनिक व मानमाने ढंग से मांगी गयी है। याची व वाहन स्वामी के मध्य दुरभीसन्धि है, इसलिये वाहन स्वामी व चालक को धारा 170 मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत उपलब्ध सभी आधारों पर विपक्षी उत्तरदाता याचिका में प्रतिवाद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। दुर्घटना पूर्ण रूप से अस्वाभाविक व अविश्वसनीय है। यदि न्यायालय इस मत पर आता है कि दुर्घटना उक्त वाहन से हुई है तो प्रतिकर अदा करने का दायित्व धारा 64 वी0बी0 बीमा अधिनियम के अधीन होगा। वाहन के स्वामी व चालक का यह कर्तव्य था कि दुर्घटना के बाद उसकी सूचना बीमा कम्पनी को देते, जैसा कि धारा 134 सी0 मोटर यान अधिनियम में प्राविधान किया गया है, उनको पॉलिसी नम्बर, वैधता की तिथि, समय घटना का स्थान, दुर्घटना में चुटलों का विवरण चालक का नाम पता की सूचना देना आज्ञापक है। उक्त प्राविधान का पालन न करने के चालक व वाहन स्वामी द्वारा पॉलिसी का उल्लघन किया गया है। याचिका में आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये गये हैं। इलाज पर खर्च धनराशि अत्याधिक दर्शायी गयी है, जो इलाज के प्रपत्र दाखिल किये गये हैं वे डाक्टर द्वारा प्रमाणित नहीं है। याची को कोई स्थायी विकलांगता नहीं आयी है। याची द्वारा नितान्त असत्य व निराधार कथन के साथ यह प्रतिकर याचिका प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जो उत्तरदाता/ बीमा कम्पनी के विरूद्ध तो किसी प्रकार पोषणीय ही नहीं है तथा सव्यय खण्डित होने योग्य है।

उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु सृजित किये गयेः—

1— क्या दिनांक 20—08—2015 को समय 06—30 बजे शाम याचिनी जब कार सं0 यू0पी0 25 एम0—9650 द्वारा काशीपुर से धामपुर रेहड पेट्रोल पम्प के सामने आई तभी ट्रक सं0 यू0के0 06—4135 का चालक उसे तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और कार में टक्कर मार दिया, जिससे याचिनी तपसचर्या को चोटें आयी?

2— क्या दुर्घटना की तिथि पर ट्रक सं0 यू0के0 06—सी0ए0 4135 के चालक विपक्षी संख्या—1 के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस था?

3—क्या दुर्घटना की तिथि पर ट्रक सं0 यू0के0 06—सी0ए0 4135 विपक्षी संख्या—3 ओरियन्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि0 से बीमित था?

4— क्या प्रश्नगत दुर्घटना दोनों वाहन के चालको की योगदायी उपेक्षा के कारण हुई है?

5— क्या याचिनी कोई प्रतिकर धनराशि पाने की अधिकारी हैं, यदि हॉ तो कितना व किस विपक्षी से?

याचिनी की ओर से सूची ग–7 से निम्न कागज दाखिल किये गये हैं। कागज सं0 ख–8/1 फोटो प्रति प्राथमिकी मुकदमा अपराध संख्या 144/ 2015, कागज सं0 ख–9 फोटो स्टेट प्रति आरोप पत्र मुकदमा अपराध सं0 144/ 2105, कागज सं0 ख–10 फोटो स्टेट प्रति पंजीयन प्रमाण पत्र वाहन सं0 यू0के0 06–सी0ए0–4135, कागज सं0 ख–11 फोटो स्टेट प्रति परमिट, कागज सं0 ख–12 फोटो स्टेट प्रति स्वस्थता प्रमाण पत्र वाहन सं0 यू0के0 06–सी0ए0–4135, कागज सं0 ख–13 बीमा कवर नोट की प्रति, कागज सं0 ख–14 राजकुमार के डी0एल0 की फोटो स्टेट प्रति दाखिल किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सूची ग–27 से निम्म दस्तावेज दाखिल किये गये हैं। प्रपत्र सं0 ख–28/ लगायत लगायत ख–28/ 114 चिकित्सा भुगतान बिल, कागज सं0 ग–29/2 प्रमाणित प्रतिलिपि प्राथमिकी मुकदमा अपराध सं0 144/2015, कागज सं0 ग–30/2 प्रमाणित प्रतिलिपि आरोप पत्र मु0अप0सं0 144/ 2015 दाखिल किये गये हैं एवं सूची ग–38 से निम्न दस्तावेज ग–39 स्वस्थता प्रमाण की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रति वाहन सं0 यू0के0 06–सी0ए0–4135, ग–40 परमिट की नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रति दाखिल किये गये हैं तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0डब्लू–1 तपसचर्या पत्नी कुलदीप सिंह को परीक्षित कराया गया है।

विपक्षीगण सं0 1 व 2 की ओर से सूची ग–34 से निम्न दस्तावेज दाखिल किये गये हैं कागज सं0 ग–34 नोटरी द्वारा प्रमाणित फोटो स्टेट प्रति पंजीयन प्रमाण पत्र वाहन सं0 यू0के0 06–सी0ए0–4135, कागज सं0 ख–35 फोटो स्टेट प्रति डी0एल0 राजकुमार व दस्तावेजी साक्ष्य कागज सं0 ख–36 बीमा कवर नोट की प्रति, दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में दाखिल किये गये है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु सं0 1 व 4 :– वाद बिन्दु सं0 1 व 4 आपस में एक दूसरे से सम्बन्धित हैं तथा इनका एक साथ निस्तारण करना मैं सुविधाजनक समझाता हूॅ। इन वाद बिन्दुओं के अन्तर्गत न्यायालय को यह निर्णय लेना है कि क्या दिनांक 20–08–2015 को समय 06–30 बजे शाम याचिनी जब कार सं0 यू0पी0 25 एम0–9650 द्वारा काशीपुर से धामपुर रेहड पेट्रोल पम्प के सामने आई तभी ट्रक सं0 यू0के0 06–सी0ए0–4135 का चालक उसे तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और कार में टक्कर मार दिया, जिससे याचिनी तपसचर्या को चोटें आयी? एवं क्या प्रश्नगत दुर्घटना दोनों वाहन के चालकों की योगदायी उपेक्षा के कारण घटित हुई है?

याची द्वारा याचिका में वर्णित कथनों के समर्थन में स्वयं पी0डब्लू–1 तपसचर्या उम्र 31 वर्ष ने **मुख्यपरीक्षा/सशपथ पत्र** कागज संख्या ख–42 दाखिल किया है, जिसमें उसका सशपथ कथन है कि दिनांक 20–08–2015 को सांय 6–30 बजे कुलदीप सिंह के पुत्र राजेश आयु 4 वर्ष, नीरज देवी पत्नी राजेन्द्र,

सिंह, कु0 रश्मि आयु 03 वर्ष सचिन ड्राईवर आयु 25 वर्ष के साथ कार संख्या यू0पी0 25 एम0—9650 से काशीपुर से धामपुर आ रहे थे, जब कार रेहड पैट्रोल पम्प के सामने पहुंची तो विपरीत दिशा से आ रहे इण्डेन गैस सिलेण्डरों से भरे ट्रक संख्या यू0के0 06 सी0ए0 4135 के चालक ने तेजी व लापरवाही से ट्रक को चलाते हुये उनका कार में टक्कर मार दी, जिससे कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गयी और कार में सवार सभी लोग घायल हो गये। उसे पहले गढी पी0एच0सी0 ले गये वहॉ से कॉसमोस हॉस्पिटल मुरादाबाद ले गये और उसके बाद गुडगांव में स्थित मेदान्ता अस्पताल में इलाज हेतु ले गये तथा कुछ घायलों का इलाज काशीपुर के निजी अस्पताल में चला। ट्रक का चालक राजकुमार मौके पर ट्रक छोडकर फरार हो गया था घटना की रिपोर्ट बेगराज सिंह पुत्र डालचन्द निवासी शीरबासुचन्द थाना अफजलगढ ने थाना रेहड में मु0अप0सं0 144/15 दर्ज करायी जो दिनांक 21—08—2015 को 11—30 बजे दर्ज हुई। दुर्घटना में आयी चोटों के कारण वह मेदान्ता हॉस्पिटल में गम्भीर अवस्था में भर्ती हुई। दिनांक 21—08—2015 से दिनांक 25—04—2016 तक चिकित्सीय बिल के अनुसार उसके इलाज पर अंकन रूपये 10,54,191/—(दस लाख चब्बन हजार एक सो इक्यानवे) रूपये खर्च हुए तथा उसके आने जाने में लगभग 40,000/—(चालिस हजार)रूपये खर्च हुये हैं। उन्होंने इस दुध् ार्टना के सम्बन्ध में एफ0आई0आर0, आरोप पत्र की प्रमाणित प्रतियां पत्रावली पर दाखिल की है, उसके इलाज में खर्च हुई धनराशि की दवाईयों के मूल बिल व पर्चे व हॉस्पिटल के मूल बिल इत्यादि पत्रावली पर दाखिल किये हैं। इस साक्षी ने अपनी **जिरह** में कथन किया है कि दुर्घटना आमने सामने हुई थी, फिर कहा कि साईड से हुई थी। दोनों गाड़ियों के ड्राईवर की साईड टकरायी थी, दुर्घटना पक्की सडक पर हुई थी। उसका यह भी कथन है कि हम अपनी साईड में चल रहे थे। उसने यह भी कहा है कि दुर्घटनास्थल सड़क हाईवे है। उसका यह भी कथन है कि वह ड्राईवर की सीट के पीछे बैठी थी, दुर्घटना में उसका सिर टकराया था, लेकिन वह चोटों के कारण बेहोश नहीं हुई थी तथा बाहर निकलकर ट्रक का नम्बर नोट किया था। कार का नम्बर यू0पी0 20 एम0 9152 या 9557 या कुछ ऐसा ही था। कार टाटा इण्डिका थी, कार का रंग सफेद था। ड्राईवर को वह भैया—भैया कहकर बोलती थी तथा वह नहीं बता सकती कि शपथपत्र में ड्राईवर का नाम सचिन किसने लिखाया था। उसका यह भी कथन है कि दुर्घटनास्थल से वह पी0एच0सी0 कासमपुर गढी गयी थी। उसका यह भी कथन है कि मौके पर थोडी देर बाद पुलिस आ गयी थी, पुलिस घटनास्थल पर 15 मिनट बाद आई थी, तब तक उन्हें गाडी से निकाल लिया था। पी0एच0सी0 अस्पताल में वह दो घन्टे रूकी होगी। उसका यह भी कथन है कि उसके चचेरे ससुरल बेगराज पुलिस के आने से पहले आ गये होगे। उसका यह भी कथन है कि वह दुर्घटनास्थल से पी0एच0सी0 कासमपुरगढी छोटा हाथी से गये थे। उसका यह भी कथन है कि उसके पैर में फ्रैक्चर था, इस कारण वह छोटे हाथी में बैठ गयी थी। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके पास डाक्टर का प्रैसक्रिप्शन नहीं है। उसका यह भी कथन है कि मेदान्ता अस्पताल में

क्या दवाईयां खायी और क्या दवाईयॉ वापस हुई इसकी उसे जानकारी नहीं है। वहॉ उसके पैर की सर्जरी हुई थी तथा वह 19 दिन आई0सी0यू0 में रही थी तथा बिल द्ध ारवालों ने साढे आठ लाख रूपये पहली बार बताये थे तथा यह रकम उसके पति द्व ारा नगद, चैक व ड्राफ्ट से अदा की गयी कोम्प्लीकेशन(थोडी कठिनाई) पैदा होने के कारण उसे दुवारा भर्ती होना पडा था तथा उसे 3 दिन भर्ती रखा गया था, उसे याद नहीं कि दुवारा वह किस तारीख को भर्ती हुई थी, उसके बाद दिनांक 30–09–2016 को वह तीसरी बार भर्ती हुई हुई थी यह सर्जरी मेदान्ता अस्पताल में नहीं हुई थी, बल्कि आर्टमिस गुडगांव में हुई थी। वहां पर चार–पांच लाख रूपये लगे थे, उसे नहीं पता कि उसका पैमेन्ट कैसे हुआ। उसका यह भी कहना है कि पहले डाक्टर आदित्य गुप्ता न्यूरो सर्जन थे, बाद में भी डाक्टर ये ही थे। वह डाक्टर प्रकाशी को नहीं जानती। डाक्टर रामदिनकर झा हड्डी के डाक्टर है। उसने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके इलाज पर ज्यादा बिल बनवाकर अदालत में दाखिल किये हो।

उसने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि दुर्घटना चालक की लापरवाही से घटित हुई हो। उक्त साक्षी से विपक्षीगण की ओर से की गयी उपरोक्त जिरह में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है जिससे दुर्घटना को अविश्वसनीय माना जा सके। विपक्षीगण की ओर से खण्डन में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

विपक्षीगण सं0 1 व 2 ने अपने प्रतिवादपत्र ख–31 में यह कथन किया है कि प्रश्नगत दुर्घटना उनके वाहन की गलती से कारित नहीं हुई, बल्कि कार संख्या यू0पी0 25 एम 9650 जो काशीपुर से धामपुर आ रही थी, प्रतिवादी सं01 ने काफी प्रयास अपने ट्रक को कार से बचाने के लिए किया परन्तु कार चालक ने तेजी व लापरवाही से गलत साईड में लाकर ट्रक में टक्कर मार दी। जिससे कार चालक व उसमें बैठे व्यक्तियों को चोटें आई। अपने कथन के समर्थन में प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया है।

इस सन्दर्भ में बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने यह कथन किया है कि तथा कथित दिनांक समय व स्थान पर ट्रक सं0 यू0के0 06 सी0ए0 4135 के चालक द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी। इस सन्दर्भ में याचिनी/चुटैल तपसचर्या ने अपनी मुख्यपरीक्षा/शपथपत्र में तथाकथित घटना का सम्पूर्ण ब्योरा प्रस्तुत किया है तथा इसकी जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि दुर्घटना के दिनांक, समय व स्थान पर तथाकथित ट्रक किसी अन्य स्थान पर था और दुर्घटना किसी अन्य वाहन के द्वारा कारित की गयी थी। अतः उक्त तर्क के आधार पर याची के साक्ष्य पर सन्देह व्यक्त नहीं किया जा सकता। बीमा कम्पनी की ओर से यह भी कहा गया है कि कार संख्या यू0पी0 25 एम 9650 के चालक के द्वारा दुर्घटना में अंशदायी असावधानी बरती गयी थी, परन्तु इस तथ्य को साबित करने हेतु बीमा कम्पनी की ओर से किसी भी प्रकार का कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में प्रत्यक्षदर्शी/चुटैल साक्षी याचिनी की जिरह में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि कार संख्या यू0पी0 25 एम 9650 का

चालक गलत दिशा में जा रहा था, बल्कि याची की ओर से कागज सं0 ग–39/2 मु0अप0सं0 144/2015 धारा 279,337,338,427 भा0दं0सं0 थाना रेहड़ जिला बिजनौर की चिक एफ0आई0आर0 की प्रमाणित छाया प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें मुकदमा वादी बेगराज सिंह द्वारा स्पष्ट रूप से यह अंकित कराया गया है कि जब उपरोक्त कार रेहड में पैट्रोलपम्प के सामने पहुॅची तो विपरीत दिशा से आ रहे इण्डेन गैस सिलेण्डरों से भरे ट्रक संख्या यू0के0 06 सी0ए 4135 के चालक ने तेजी एवं लापरवाही से ट्रक को चलाते हुये उपरोक्त कार में टक्कर मार दी। अभियुक्त के रूप में ट्रक संख्या यू0के0 06 सी0ए0 4135, नाम पता अज्ञात को नामित किया गया है। कागज सं0 ख–30/2 144/2015 धारा 279,337,338,427 भा0दं0सं0 थाना रेहड़ जिला बिजनौर में प्रेषित आरोप पत्र सं0 83/ 15 दिनांक 27–08–15 की प्रमाणित प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें विवेचना के उपरान्त अभियुक्त राजकुमार प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। विपक्षीगण को यह अवसर प्राप्त था कि वे ट्रक के चालक राजकुमार जो दुर्घटना के तथ्यों को स्पष्ट करने के सन्दर्भ में, परीक्षित कराते, उक्त ट्रक के चालक को परीक्षित न कराये जाने से यह उपधारणा बनती है कि यदि उक्त साक्षी को परीक्षित कराया जाता तो उसका साक्ष्य विपक्षीगण के अनुकूल न होता। इसके अतिरिक्त विपक्षी संख्या–1 राजकुमार के द्वारा दुर्घटना के समय व स्थान पर तेजी व लापरवाही से ट्रक को तेजी व लापरवाही चलाकर कार में टक्कर मार दिये जाने के तथ्य के सन्दर्भ में चुटैल साक्षी पी0डब्लू–1 तपसचर्या के द्वारा मुख्यपरीक्षा में कहे गये कथन दौरान जिरह पूर्णरूपेण स्थिर रहे हैं और उसकी जिरह में कोई ऐसा विरोधाभास या विसंगति नही आयी है, जिसके आधार पर इस साक्षी के साक्ष्य को सन्देह की दृष्टि से देखा जा सके।

उपरोक्त चिक एफ0आई0आर0, व आरोप पत्र के आधार पर भी यह निष्कर्ष निकलता है कि विवेचक ने विवेचना उपरान्त कथित मोटर दुर्घटना के सम्बन्ध में विपक्षी सं01 राजकुमार को प्रथम दृष्टया रूप से तेजी, लापरवाही एवं उपेक्षा से वाहन चलाकर दुर्घटना कारित किये जाने का दोषी पाया है। इस तथ्य से भी घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी0डब्लू–1 तपसचर्या के साक्ष्य की पुष्टि होती है। अतः उपलब्ध साक्ष्य व उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह साबित होता है कि दिनांक 20–08–2015 को समय 06–30 बजे शाम याचिनी जब कार सं0 यू0पी0 25 एम0–9650 द्वारा काशीपुर से धामपुर रेहड पेट्रोल पम्प के सामने आई तभी ट्रक सं0 यू0के0 06–सी0ए0–4135 का चालक उसे तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और कार में टक्कर मार दी, जिससे याचिनी को चोटें आयी।

जहां तक दोनों वाहनों के चालकों की योगदायी उपेक्षा का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में, प्रतिवादपत्र में उल्लेख किया गया है कि कथित दुर्घटना उनके ट्रक सं0 यू0के0 06–सी0ए0–4135 के चालक की गलती से नहीं अपितु कार सं0 यू0पी0 25–एम–9650 के चालक की गलती एवं घोर लापरवाही के कारण घटित हुई है। परन्तु अपने उपरोक्त कथन के समर्थन में विपक्षीगण की ओर से कोई साक्षी

न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है कि उसने इस दुर्घटना के सम्बन्ध में कोई एफ0आई0आर0 कार सं0 यू0पी0 25–एम 9750 के चालक के विरूद्ध दर्ज करायी है। विवेचक द्वारा भी उक्त प्रकरण में विवेचना के उपरान्त विपक्षी सं0 1 राजकुमार के द्वारा तेजी व लापरवाही से वाहन को चलाये जाने के कारण दुर्घटना होना पाते हुये आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। अतः उपलब्ध साक्ष्य एवं उक्त विवेचना के आधार पर यह स्थापित होता है कि प्रश्नगत दुर्घटना वाहन कार सं0 यू0पी0 25–एम 9750 के चालक की गलती एवं लापरवाही के कारण घटित नहीं हुई। अतः वाद बिन्दु सं0 1 व 4 तद्नुसार याची के पक्ष में तथा विपक्षीगण के विरूद्ध निर्णीत किये जाते हैं।

वाद–बिन्दु सं.2:–

इस वाद बिन्दु के अन्तर्गत न्यायालय को यह निर्णय लेना है कि क्या दुर्घटना की तिथि पर ट्रक सं0 यू0के0 06–सी0ए0–4135 के चालक विपक्षी सं0 1 के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस था? विपक्षी संख्या– 3 बीमा कम्पनी की ओर से इस सम्बन्ध में अपने प्रतिवादपत्र ख–25 में यह कथन किया गया है कि वाहन ट्रक सं0 यू0के0 06–सी0ए0–4135 के चालक विपक्षी सं01 के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था। विपक्षीगण की ओर से कागज सं0 ग–35 राजकुमार के ड्राईविंग लाईसेंस की छाया प्रति दाखिल की गयी जो दिनांक 07–08–2013 से 09–10–2017 तक वैध है। इससे स्पष्ट है कि कथित दुर्घटना के दिनांक व समय वाहन ट्रक सं0 यू0के0 06–सी0ए0–4135 के चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसैंस था तथा उक्त डी.एल. के खण्डन में विपक्षी सं03 बीमा कम्पनी की ओर से कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि दुर्घटना की दिनांक को वाहन ट्रक सं0 यू0के0 06–सी0ए0–4135 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि बीमा कम्पनी की ओर से ऐसा भी कोई कथन नहीं किया गया है कि सत्यापन कराये जाने पर ड्राईविंग लाईसेंस फर्जी पाया गया था। अतः यह तथ्य सिद्ध होता है कि दुर्घटना के समय वाहन ट्रक सं0 यू0के0 06–सी0ए0–4135 के चालक विपक्षी संख्या–1 राजकुमार के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेन्स था। तद्नुसार यह वाद–बिन्दु प्रतिवादी संख्या–2 बीमा कम्पनी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

वाद–बिन्दु संख्या–3:–

इस वाद बिन्दु के अन्तर्गत न्यायालय को यह निर्णय लेना है कि क्या दुर्घटना की तिथि पर वाहन ट्रक सं0 यू0के0 06–सी0ए0–4135 विपक्षी सं0 3 ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी से बीमित था? इस सम्बन्ध में विपक्षी बीमा कम्पनी की ओर से अपने प्रतिवादपत्र कागज सं0 ख–25 में यह कथन किया गया है कथित दुर्घटना के दिनांक पर उक्त वाहन ट्रक सं0 यू0के0 06–सी0ए0–4135 विपक्षी बीमा कम्पनी के द्वारा बीमित नहीं था। इस सम्बन्ध में विपक्षीगण 1 व 2 की ओर से बीमा कवर नोट की छायाप्रति ग–36 दाखिल की गयी है, जिसमें वाहन वाहन ट्रक सं0

यू0के0 06–सी0ए0–4135, दिनांक 18–04–2015 से 17–04–2016 तक प्रतिवादी संख्या–3 ओरियन्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के यहॉ बीमित था। इस बीमा कवर नोट के फर्जी होने का कथन या सुझाव बीमा कम्पनी की ओर से नहीं दिया गया है तथा दौरान बहस बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से बीमा कवर नोट की मौलिकता को स्वीकार किया है। तद्नुसार यह वाद–बिन्दु विपक्षी संख्या–3 के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

<u>निस्तारण वाद बिन्दु सं05:–</u> इस वाद बिन्दु के अन्तर्गत यह निर्णीत किया जाना है कि क्या याचिनी किसी प्रतिकर धनराशि को प्राप्त करने की अधिकारी है और यदि हॉ तो कितनी?

उक्त सन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि वाद बिन्दु सं0 1 व 4 के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कथित दुर्घटना वाहन ट्रक सं0यू0के0 06–सी0ए0–4135 के चालक राजकुमार द्वारा ट्रक तेजी व लापरवाही से चलाये जाने के कारण घटित हुई है, उक्त दुर्घटना में कार सं0 यू0पी0 25–एम 9750 के चालक की कोई गलती या लापरवाही नहीं थी।

वाद बिन्दु सं0 2 व 3 के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दुर्घटना के दिनांक 20–08–2015 को उक्त ट्रक को चलाने का विपक्षी सं01 राजकुमार के पास वैध एवं प्रभावी ड्राईविंग लाईसेंस था तथा उक्त ट्रक विपक्षी सं0 3 ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से बीमित था। फलस्वरूप विपक्षी सं0 1 व 2 द्वारा किये गये किसी भी कृत्य के लिए विपक्षी सं0 3 उपरोक्त बीमा कम्पनी जिम्मेदार है। फलस्वरूप विपक्षी सं0 3 ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड प्रस्तुत मामले में प्रतिकर धनराशि अदा करने की उत्तरदायी है।

न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रतिकर के रूप में कितनी धनराशि याचिनी तपसचर्या को दिलाया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगा। याचिनी का याचिका में कथन है कि दिनांक 20–08–2015 की दुर्घटना में उसको अत्याधिक आन्तरिक व वाहय गम्भीर चोटें आयी थी तथा उन चोटों का इलाज कॉसमोस अस्पताल मुरादाबाद एवं तदुपरान्त मेदान्ता अस्पताल गुडगांव में चला था तथा डाक्टर आदित्य गुप्ता व डाक्टर राकेश कुमार मेदान्ता अस्पताल गुडगांव ने उनका इलाज किया था तथा दिनांक 20–08–2015 से दिनांक 25–04–2016 के मध्य इलाज पर अंकन रूपये 8,29,836/–(आठ लाख उन्तीस हजार आठ सो छततीस) खर्च हुआ। उक्त धनराशि के अलावा उन्होंने याचिका में अंकन रूपये 40,000 (चालिस हजार) रूपये का यात्राव्यय एवं अंकन रूपये 2,00,000(दो लाख) मानसिक क्षतिपूर्ति की मांग करते हुये कुल रूपये 10,69,836/–(दस लाख उन्हत्तर हजार आठ सो छत्तीस) की मांग 9(नौ) प्रतिशत ब्याज सहित प्रतिकर धनराशि दिलाये जाने हेतु याचिका प्रस्तुत की है।

याचिनी की ओर से दाखिल शपथ पत्र ख–42 में उनका कथन है कि दिनांक 20–08–2015 को उपरोक्त दुर्घटना में आयी चोटों के कारण वह मेदान्ता अस्पताल में भर्ती हुई तथा दिनांक 21–08–2015 से 25–04–2016 तक उसके

इलाज पर अंकन रूपये 10,54,151(दस लाख चव्वन हजार एक सो इक्याबन) खर्च हुये तथा आने जाने में अंकन रूपये 40,000 (चालिस हजार) खर्च हुये। अतः उसने विपक्षीगण के खिलाफ अंकन रूपये 10,69,836/—(दस लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ छत्तीस) प्रतिकर राशि दिलाये जाने हेतु मय ब्याज के लिए प्रतिकर याचिका दाखिल की है। पी0डब्लू—1 चपसचर्या ने जिरह के दौरान यह कथन किया है कि दुर्घटना में उसका सिर टकराया था तथा जिरह के पृष्ठ—4 पर उनका कथन है कि उनके पैर में फ्रैक्चर था। उनका जिरह में यह भी कथन है कि उनके पैर की सर्जरी हुई थी। उनका जिरह में पृष्ठ सं0 4 पर यह भी कथन है कि दिनांक 30—09—2016 को तीसरी बार भर्ती हुई थी तथा यह सर्जरी उनकी मेदान्ता में नहीं हुई थी, बल्कि अर्टमिस गुडगांव में हुई थी, जिसपर चार—पांच लाख रूपये लगे थे। उन्हें नहीं पता कि उनका पेमेंट कैसे हुआ।

उक्त सन्दर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि चिकित्सीय बिल जो दाखिल किये गये हैं, उनके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उन्होंने ग—49 दाखिल किया है, जिसमें उनका कथन है कि वह दिनांक 21—01—2016 को गर्भपात के बिल कागज सं0 28/ 68 व 28/ 69 पर बल नहीं देना चाहती है तथा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑख की प्लास्टिक सर्जरी में अंकन रूपये 2,23,666/—(दो लाख तेइस हजार छः सौ छियासठ) खर्च हुये थे।

मेरे मत में, प्रस्तुत मामले में केवल वह धनराशि प्रतिकर के रूप में दिलायी जा सकती है, जो दुर्घटना में आयी चोटों के कारण इलाज में खर्च हुई है। लेकिन यदि याचिनी अपना कोई अन्य इलाज कराये, जिनका कि दुर्घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है, उनके सम्बन्ध में धनरिाश प्राप्त करने की याचिनी अधिकारी नहीं है। मोटर यान अधिनियम 1998 के अन्तर्गत प्रतिकर धनराशि दिलाये जाने का मकसद मात्र इतना है कि याचिनी/चुटैल को उस स्थिति तक पुनःस्थापित किया जाये जिस स्थिति में वह दुर्घटना के दिनांक से तुरन्त पहले थी। अतः न्यायालय के समक्ष अब निर्धारण हेतु केवल यह प्रश्न शेष रह जाता है कि कौन—कौन से चिकित्सीय बिल प्रश्नगत दुर्घटना दिनांक 20—08—2015 को आयी चोटों के उपचार से सम्बन्धित हैं। इस सम्बन्ध में निम्न तथ्य महत्वपूर्ण हैं।

1— दुर्घटना दिनांक 20—08—2015 को हुई थी।

2— याचिनी द्वारा कॉसमोस अस्पताल प्रेमनगर काजीपुरा कांठ रोड मुरादाबाद के चिकित्सीय बिल रसीद कागज सं0 28/3 लगायत 28/6 अंकन रूपये 5,835(पांच हजार आठ सौ पैंतीस) के दाखिल किये हैं, जो प्रश्नगत दुर्घटना से सम्बन्धित प्रतीत होते हैं। इनकी मौलिकता के बारे में कोई प्रतिवाद विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है एवं उन्होंने लिखित रूप से भी ग— 49 पर अंकित किया है कि उन्हें कोई रिब्टल दाखिल नहीं करना है।

3— दिनांक 21—08—2015 से दिनांक 14—09—2015 तक मेदान्ता अस्पताल गुडगांव के चिकित्सीय बिल रसीद कागज सं0 28/7 लगायत 28/46 दाखिल किये गये हैं, जिनके अनुसार दुर्घटना में आयी चोट, जिसके फलस्वरूप याचिनी की

टांग में फ्रैक्चर होने के कारण ऑप्रेशन करना पड़ा था, में अंकन रूपये 6,04,283/–(छःलाख चार हजार दो सो तिरासी) का खर्च आया था, जिनका पूर्ण विवरण चिकित्सीय बिल रसीद में दिया गया है। विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने लिखित रूप से अंकित किया है कि उन्हें कोई रिब्टल नहीं देना है तथा इनकी मौलिकता के बारे में कोई प्रतिवाद विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है। अतः चिकित्सीय बिल रसीद मेदान्ता अस्पताल कागज सं0 28/7 लगायत 28/ 46 दुर्घटना में आयी चोटों के मेदान्ता अस्पताल गुडगांव मे इलाज से सम्बन्धित हैं, इसलिए यह धनराशि भी याचिनी तपसचर्या प्राप्त करने की अधिकारी है।

4– याचिनी की ओर से रसीद सं0 28/ 53 दिनांक 14–09–2015, अंकन 4,600(चार हजार छः सौ) में कामोडचेयर गांधी मैडिकल स्टोर अपोजिट मेदान्ता अस्पताल गुडगांव से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में दाखिल की है। यह रसीद उस दिन की है, जिस दिन इलाज व ऑप्रेशन के बाद याचिनी तपसचर्या को मेदान्ता अस्पताल से डिसचार्ज किया गया। विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने लिखित रूप से अंकित किया है कि उन्हें कोई रिब्टल नहीं देना है तथा इनकी मौलिकता के बारे में कोई प्रतिवाद विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है। मेरे मत में, यह व्यय भी दुर्घटना में आयी चोटों के इलाज से सम्बन्धित माना जाना चाहिए एवं इस धनराशि का भुगतान भी याचिनी तपसचर्या प्राप्त करने की अधिकारी है।

5– याचिनी द्वारा इलाज के सम्बन्ध में पुनः मेदान्ता अस्पताल के डाक्टर से दिनांक 22–09–2015 को परामर्श लिया गया तथा परामर्श शुल्क के रूप में उन्होंने अंकन रूपये 334(तीन सौ चौंतीस) + अंकन रूपये 800(आठ सौ) यानि कुल अंकन 1,134(एक हजार एक सो चौंतीस) अदा किये हैं। विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने लिखित रूप से अंकित किया है कि उन्हें कोई रिब्टल नहीं देना है तथा इनकी मौलिकता के बारे में कोई प्रतिवाद विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है। मेरे मत में, यह धनराशि भी प्रश्नगत दुर्घटना में आयी चोटों के परामर्श से सम्बन्धित थी, इसलिये यह धनराशि भी याचिनी तपसचर्या प्राप्त करने की अधिकारी है।

6– याचिनी द्वारा दिनांक 27–10–2015 को मेदान्ता अस्पताल गुडगांव में अपने पैर व सीने का एक्सरे कराया गया, जिसकी बावत उन्होंने रसीद कागज सं0 28/ 59 अंकन रूपये 1,050(एक हजार पचास) एवं रसीद कागज सं0 28/ 60 दिनांकित 27–10–2015 परामर्श न्यूरो सर्जरी मु0 रूपये 900(नौ सौ) दाखिल किये हैं, जो कि प्रश्नगत दुर्घटना में आयी उनकी टांग की चोट के सम्बन्ध में प्रतीत होते हैं। विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने लिखित रूप से अंकित किया है कि उन्हें कोई रिब्टल नहीं देना है तथा इनकी मौलिकता के बारे में कोई प्रतिवाद विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है। फलस्वरूप यह धनराशि भी याचिनी तपसचर्या प्राप्त करने की अधिकारी है।

7– याचिनी द्वारा दिनांक 04–12–2105 को मेदान्ता अस्पताल गुडगांव में अपने पैर की चोट से सम्बन्धित ऑर्थोपेडिकस परामर्श की बाबत रसीद कगाज सं0 28/ 68 मु0 रूपये 800(आठ सौ) दाखिल किया है,जो प्रश्नगत दुर्घटना में आयी उनकी टांग की चोट के सम्बन्ध में प्रतीत होते हैं। विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने लिखित रूप से अंकित किया है कि उन्हें कोई रिब्टल नहीं देना है तथा इनकी मौलिकता के बारे में कोई प्रतिवाद विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है। फलस्वरूप यह धनराशि भी याचिनी तपसचर्या प्राप्त करने की अधिकारी है।

8– याचिनी द्वारा दिनांक 31–12–2015 की परामर्श न्यूरो सर्जरी रसीद कागज सं0 28/65 मु0 रूपये 900(नौ सौ) एवं दिनांक 20–01–2016 की परामर्श न्यूरो सर्जरी रसीद कागज सं0 28/66 मु0 800(आठ सो) दाखिल किये हैं, जो प्रश्नगत दुर्घटना में आयी उनकी टांग की चोट के सम्बन्ध में प्रतीत होते हैं। विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता ने लिखित रूप से अंकित किया है कि उन्हें कोई रिब्टल नहीं देना है तथा इनकी मौलिकता के बारे में कोई प्रतिवाद विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा नहीं किया गया है। फलस्वरूप यह धनराशि भी याचिनी तपसचर्या प्राप्त करने की अधिकारी है।

प्रस्तुत मामले में याचिनी ने सद्भावनापूर्वक अपना लिखित स्पष्टीकरण कागज सं0 ग–49 में यह स्पष्ट किया है कि उसने प्रस्तुत मामले में जो दिनांक 21–01–2016 का गर्भपात कराने के बिल दाखिल किये हैं, कागज सं0 28/ 68 व 28/69 क्रमशः अंकन रूपय 935(नो सो पैंतीस) एवं रूपये 28,912(अठ्ठाइस हजार नो सो बारह) है, उन्हें वह प्रैस नहीं करना चाहती है। उक्त सन्दर्भ में यह महत्वपूर्ण है कि दुर्घटना दिनांक 20–08–2015 की है और किसी भी स्तर पर प्रार्थिनी की ओर यह नहीं कहा गया है कि वह दुर्घटना के समय गर्भवती थी। अतः उसका कथित गर्भपात दिनांक 21–1–2016 को, जो दुर्घटना के लगभग पांच महीने बाद का है, उसका कोई सम्बन्ध दुर्घटना से नहीं है। विशेषकर ऐसा कोई कथन न तो उन्होंने अपनी याचिका में, न ही अपने शपथ पत्र में, न ही अपनी जिरह में और न ही चिकित्सीय राय में व्यक्त किया गया है तथा इस तथ्य को उन्होंने सद्भावनापूर्वक अपने स्पष्टीकरण ग–49 में रखकर गर्भपात के सभी बिलों पर बल नहीं दिया है।

इसी प्रकार स्पष्टीकरण ग–49 में उनका कथन है कि उन्होंने ऑख की प्लास्टिक सर्जरी करायी थी, जिसमें अंकन रूपये 2,23,666(दो लाख तेइस हजार छः सो छियासठ) खर्च हुआ थे। उक्त सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण है कि याचिनी की ऑख पर किसी भी प्रकार की कोई चोट दिनांक 20–08–2015 की दुर्घटना में आयी हो, ऐसा कोई अभिकथन न तो याचिका में, न ही याचिनी के शपथ पत्र में, न ही जिरह में याचिनी द्वारा कहा गया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई चिकित्सीय प्रमाण पत्र में उल्लेख है। अतः ऑख की प्लास्टिक सर्जरी के चिकित्सीय बिल भी प्रश्नगत दुर्घटना में आयी चोटों से किसी भी रूप से सम्बन्धित नहीं हैं।

याचिनी तपसचर्या की ओर से कागज सं0 28/ 67 लगायत 28/

114 दाखिल किये गये हैं, जो कि उनकी ऑख/ चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी एवं गर्भपात से सम्बन्धित हैं, जिनका कोई सम्बन्ध दुर्घटना में आयी चोटों से या दुर्घटना से नहीं है तथा इनके सम्बन्ध में न तो याचिनी की याचिका में, न ही उसके शपथपत्र में, न ही उसने पी0डब्लू–1 के रूप में दिये गये शपथ बयान में और न ही इलाज प्रारम्भ करते समय किसी चिकित्सीय पर्चे में कोई उल्लेख हैं। मेरे मत में, यदि उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की टांग में दुर्घटना के दौरान चोट आ जाये तो इस आधार पर वह अपनी अन्य पूर्व या बाद की बीमारियों का भी बाद में इलाज कराये, तो ऐसे इलाज पर किया गया व्यय दुर्घटना से सम्बन्धित न होने के कारण उनपर आये खर्च को प्रतिकर के रूप में नहीं दिलाया जा सकता। इस मत की पुष्टि मोटर यान अधिनियम के प्राविधान से होती है, जिसका मकसद याचिनी/चुटैल को दुर्घटना की दिनांक से पूर्व की स्थिति तक पुनःस्थापित स्तर तक ले जाने में आये खर्च का भुगतान किया जा सकता है, अन्य इलाज में आये खर्चो का नहीं।

उक्त सन्दर्भ में यह भी महत्वपूर्ण है कि **स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम जसवीर कौर 2003(7) एस0सी0सी0 484** के निर्णय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णीत किया है कि प्रतिकर की धनराशि न्यायसंगत होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिकर कोई लॉट्री या आमदनी की जरिया नहीं है। **राजकुमार बनाम अजय कुमार व अन्य 2011(1) एस0सी0सी0 पेज 343** के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिकरण का यह दायित्व होता है कि वह निष्पक्ष एम्पायर की तरह नहीं, जैसा कि दीवानी मामलों में होता है, बल्कि न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी का यह दायित्व है कि वह इस तथ्य का निर्धारण करे कि वास्तविकता क्या है एवं न्यायसंगत प्रतिकर क्या है?

अतः उपरोक्त निर्णय विधि एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर मेरे मत में, याचिनी तपसचर्या दिनांक 20–08–2015 की दुर्घटना में आयी चोटों के इलाज के सम्बन्ध में उपरोक्त विवेचन अनुसार अंकन रूपये 6,20,302/– (छःलाख बीस हजार तीन सौ दो) चिकित्सीय व्यय के मद में प्राप्त करने की अधिकारी है।

याचिनी तपयचर्या द्वारा यात्राव्यय के रूप में अंकन रूपये 40,000/–(चालिस हजार) की मांग की गयी है। प्रस्तुत मामले में याचिनी की ओर से यात्राव्यय के सम्बन्ध में कोई रसीद दाखिल नहीं की गयी है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि याचिनी द्वारा यात्रा किस वाहन या ट्रेन से की गयी। इसलिए प्रस्तुत मामले में वास्तविक यात्रा व्यय निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है। याचिनी धामपुर की रहने वाली है तथा दुर्घटना के उपरान्त उसे इलाज हेतु कॉसमोस अस्पताल मुरादाबाद व मेदान्ता अस्पताल गुडगांव ले जाया जाना सिद्ध है। जहां वह प्रथम बार दिनांक 21–08–2015 से 14–09–2015 तक भर्ती रही। पी0डब्लू–1 तपसचर्या ने यह कथन किया है कि वह मेदान्ता अस्पताल में तीन बार भर्ती हुई, जो कि विश्वसनीय प्रतीत होता है और यह भी स्वाभाविक प्रतीत होता है कि उसके परिवार के सदस्यो, जिनपर वह देख रेख के लिए आश्रित थी वह भी निवास

स्थान धामपुर से याचिनी के साथ गुडगांव गये होंगे। अतः प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये मेरे मत में, याचिनी तपसचर्या को यात्रा व्यय के रूप में अंकन रूपये 15,000/—(पन्द्रह हजार) की धनराशि दिलाया जाना उचित एवं न्यायसंगत होगी।

इसके अतिरिक्त याची द्वारा दर्द एवं मानसिक वेदना के लिए अंकन रूपये 2,00,000/—(दो लाख)प्रतिकर दिलाये जाने की याचना की गयी है। **स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम जसवीर कौर 2003(7) एस0सी0सी0 484** के निर्णय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णीत किया है कि प्रतिकर की धनराशि न्यायसंगत होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिकर कोई लॉट्री या आमदनी की जरिया नहीं है। इसके अतिरिक्त, **राजकुमार बनाम अजय कुमार व अन्य 2011(1) एस0सी0सी0 पेज 343** के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यात्राव्यय, चिकित्सा में किये खर्च एवं मानसिक वेदना के लिए प्रतिकर पाने का अधिकार चुटैल—याची को होता है। इस मामले में यह महत्वपूर्ण है कि याचिनी के बांये पैर की हडडी टूटी गयी थी तथा उसं दिनांक 21—08—2015 से 14—09—2015 तक मेदान्ता अस्पताल गुडगांव में भर्ती रहना पड़ा। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये याचिनी तपसचर्या को दर्द एवं मानसिक वेदना के लिए अंकन रूपये 5,000/— (पांच हजार) दिलाया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार याची को कुल प्रतिकर धनराशि अंकन रूपये रूपये 6,20,302(छःलाख बीस हजार तीन सौ दो) +रूपये 15000(पन्द्रह हजार)+रूपये 5,000(पांच हजार)= रूपये 6,40,302/—(छः लाख चालिस हजार तीन सौ दो)रूपये दिलाया जाना न्यायोचित होगा। प्रतिकर की इस धनराशि पर याची याचिका प्रस्तुत किए जाने की दिनांक से वास्तविक वसूलयाबी तक 7(सात) प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज पाने की अधिकारी होगी।

प्रतिकर की उक्त धनराशि मय ब्याज विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी अदा करने की उत्तरदायी होगी। तद्नुसार वाद—बिन्दु सं05 निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याचिका आंशिक रूप से रूपये 6,40,302/—(छः लाख चालिस हजार तीन सौ दो) प्रतिकर के लिए स्वीकार की जाती है। याचिनी तपसचर्या प्रतिकर की उक्त धनराशि पर याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक से वास्तविक अदायगी तक 7(सात) प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी प्राप्त करने की अधिकारी होगी विपक्षी संख्या—3 ओरियंटल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेश दिया जाता है कि वह एक माह के अन्दर प्रतिकर की उक्त धनराशि मय ब्याज अधिकरण में जमा कर दे, जैसा कि धारा 168(3) मोटर यान अधिनियम 1988 द्वारा अपेक्षित है।

धारा 173 (1) मोटर यान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अवधि 90 दिन निर्धारित है। अतः याचिनी उपरोक्तानुसार जमा धनराशि को नियमानुसार बाद मियाद अपील 90 दिन पाने की अधिकारी होगी।

खर्चा याचिका पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करेगें।

इस केस में यदि कोई प्रतिकर पूर्व में अदा किया गया हो तो उसे प्रतिकर की धनराशि में समायोजित किया जाये।

दिनांक 28–07–2017

(राजीव शर्मा)
मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण/
अपर जिला जज, कोर्ट नं01,
बिजनौर।

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 28–07–2017

(राजीव शर्मा)
मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण/
अपर जिला जज, कोर्ट नं01,
बिजनौर।

याची ने विपक्षीगण से अंकन रूपये 10,69,836 / –(दस लाख उन्हत्तर हजार आठ सो छततीस) की धनराशि प्रतिकर के रूप में चाही है। अतः विनिश्चय यह किया जाना है कि वर्तमान प्रकरण में प्रतिकर की क्या धनराशि दिलाया जाना युक्तियुक्त व न्यायसंगत होगी?

यह सही है कि याची को जो दिनांक 20–08–2015 को तथाकथित दुर्घटना में चोटें आयी हैं, उन चोटों के सम्बन्ध में याची का इलाज पर काफी खर्च हुआ है। याची के शरीर पर आयी हुई चोटों के इलाज की बावत याची को दिनांक 20–08–2015 को कॉसमोस हास्पिटल मुरादाबाद ले जाया गया तथा दिनांक

21–08–2016 को मेदान्ता अस्पताल गुडगांव ले जाना पड़ा। जहॉ पर याची का

दिनांक 25–04–2016 तक इलाज होना बताया गया है। याची के इलाज व दवाईयों से सम्बन्धित पर्चे व बिल दिनांक 20–08–2015 से 3–1–2017 तक कागज सं0 ग–28/2 लगायत ग–28/114 रूपये अंकन 11,04,057/– के बिलों को दाखिल किया गया है, जो कॉसमोस हास्पिटल मुरादाबाद एवं मेदान्ता हास्पिटल गुडगांव द्वारा जारी हैं। याची द्वारा दाखिल उपरोक्त बिल कागज सं0 ग–28/ 3 लगायत ग–28/ 65 जो दिनांक 20–8–2015 से 20–01–2016 तक है, वह ऑर्थोपेडिक न्यूरोसजरी से सम्बन्धित हैं जो अंकन रूपये 6,39,476/–(छ:लाख उन्तालिस हजार चार सो छिहत्तर) के हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 20–01–2016 से दिनांक 21–01–2016 तक प्रपत्र सं0 ग–28/67 लगायत ग–28/74 से दाखिल बिल गर्भपात से सम्बन्धित है, जो अंकन 30,647(तीन हजार छः सो सैंतालिस) के हैं तथा दिनांक 12–04–2016 से 25–04–2016 तक प्रपत्र सं0 28/75 लगायत 28/89 प्लास्टिक सजरी के बिल है जो अंकन रूपये 1,94,460/–(एक लाख चोरानवे हजार चार सो साठ) के दाखिल किये गये हैं। इसके उपरान्त दिनांक 5–5–2016 से 31–2017 तक के इलाज के बिल प्रपत्र सं0 28/ 91 लगायत 28/114 भी दाखिल कर अंकन रूपये 11,04,057/–(ग्यारह लाख चार हजार सत्तावन)रूपये व्यह होना कहा गया है। उक्त दाखिल किये गये बिलों की प्रतिलिपि बीमा कम्पनी के अधिवक्ता को दिनांक 03–01–2017 को प्राप्त करा दी गयी थी तथा इसकी लिखित पावती उनके द्वारा सूची दस्तावेज पर अंकित किया गया। हालांकि दौरान बहस उन्होंने दाखिल किये गये उक्त बिलों की मौलिकता व वैधता को स्वीकार भी किया है। परन्तु याची की ओर से दाखिल याचिका में दिनांक 25–04–2016 तक अंकन रूपये 8,29,636/–(आठ लाख उन्तीस हजार छः सौ छततीस)रूपये व्यय होना अभिकथन किया गया है। इसके उपरान्त हुये इलाज के सम्बन्ध में याची द्वारा याचिका में या सशपथ बयान में यह कथन नहीं किया गया है कि बाद का इलाज प्रश्नगत चोटों के कारण हुआ या नहीं। जबकि याचिनी द्वारा यह याचिका दिनांक 1–12–2016 को न्यायालय में दायर की गयी है। याची द्वारा अपनी जिरह में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उसे याद नहीं दूसरी बार किस तारीख को भर्ती हुई थी। उसके बाद दिनांक 30–09–2016 को तीसरी बार भर्ती हुई थी। यह सर्जरी उसकी मेदान्ता अस्पताल में नहीं हुई थी, बल्कि आर्टमिस गुडगांव में हुई थी। इसलिए याची की ओर से दुर्घटना की दिनांक से 20–08–2015 से 25–04–2016 तक दाखिल बिलों में से दिनांक 20–1–2016 से दिनांक 21–01–2016 तक के दाखिल बिल गर्भपात से सम्बन्धित एवं दिनांक 12–04–2017 प्रपत्र सं0 ख–28/ 75 लगायत प्रपत्र 28/88 बिल प्लास्टिक सर्जरी से सम्बन्धित दाखिल किये गये हैं। गर्भपात एवं प्लास्टिक सर्जरी के बिलों के सम्बन्ध में याचिनी की ओर से कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त बिलों की धनराशि अंकन रूपये 2,25,107/–(दो लाख पच्चीस हजार सो सो सात) का भुगतान याचिनी को दिलाया जाना न्यायोचित नहीं पाता हूँ। याचिनी

की ओर से दिनांक 20–08–2015 से 20–01–2016 तक के ऑर्थोपेडिक बिलों की

धनराशि अंकन रूपये 6,39,476/–(छः लाख उन्तालिस हजार चार सो छिहत्तर)रूपये का भुगतान चिकित्सा व्यय के मद दिलाया जाना मैं न्यायोचित पाता हूॅ तथा दिनांक 25–04–2016 के उपरान्त के दाखिल बिलों के सम्बन्ध में कोई सन्तोषजनक साक्ष्य पत्रावली पर न होने के कारण में उनका भुगतान याचिनी को दिलाया जाना भी न्यायसंगत नहीं पाता हूॅ।

याची की ओर से यात्राव्यय के रूप में अंकन रूपये 40,000/– की मांग की गयी है। याची/ आवेदिका धामपुर की रहने वाली है तथा यह दुर्घटना रेहड पैट्रोल पम्प के सामने घटित हुई और उसे इलाज हेतु दिनांक 20–08–2015 को कॉसमोस अस्पताल मुरादाबाद ले जाया गया, उसकी हालत को देखते हुये उसे दिनांक 21–8–2015 को मेदान्ता हॉस्पिटल गुडगांव ले जाना पडा, जहां उसका इलाज दिनांक 21–08–2015 से 25–04–2016 तक हुआ है। पी0डब्लू–1 तपसचर्या ने जिरह के पृष्ठ 5 पर यह कथन किया है कि वह मेदान्ता में तीन भर्ती हुई। प्रस्तुत मामले में याचिनी की ओर से यात्राव्यय के सम्बन्ध में कोई रसीद दाखिल नहीं की गयी है और न ही यह स्पष्ट किया गया है कि यह यात्रा किस वाहन या ट्रेन से की गयी। इसलिए प्रस्तुत मामले में वास्तविक यात्रा व्यय निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है। परन्तु, स्वीकृत रूप से याचिनी तपसचर्या का इलाज मेदान्ता अस्पताल में दिनांक 21–08–2015 से 25–04–2016 तक हुआ था तथा पी0डब्लू–1 के रूप में दिये गये सशपथ दिये गये बयान के पृष्ठ सं0 5 पर दिये गये बयान अनुसार वह तीन बार मैदान्ता अस्पताल में भर्ती हुई, जिसकी चिकित्सीय दस्तावेजों के आधार पर पुष्टि भी होती है। अतः यह सुनिशिचित रूप से निर्धारित होता है कि तपसचर्या तीन बार मेदान्ता अस्पताल गुडगांव गयी और यह भी स्वाभाविक प्रतीत होता है कि उसके परिवार के सदस्य, जिनपर वह देख रेख के लिए आश्रित थी वह भी निवास स्थान धामपुर से गुडगांव गये। प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये व उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मैं इस मत का हूॅ कि याचिनी को यात्रा व्यय के रूप में अंकन रूपये 15,000/–(पन्द्रह हजार) की धनराशि दिलाया जाना आवश्यक व न्यायसंगत होगा।

इसके अतिरिक्त याची द्वारा दर्द एवं मानसिक वेदना के लिए अंकन 2,00,000/–रूपये प्रतिकर दिलाये जाने की याचना की गयी है। **स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम जसवीर कौर 2003(7) एस0सी0सी0 484** के निर्णय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णीत किया है कि प्रतिकर की धनराशि न्यायसंगत होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिकर कोई लॉट्री या आमदनी की जरिया नहीं है। इसके अतिरिक्त, **राजकुमार बनाम अजय कुमार व अन्य 2011(1) एस0सी0सी0 पेज 343** के निर्णय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि याची यात्राव्यय, चिकित्सा में किये खर्च एवं मानसिक वेदना के लिए प्रतिकर पाने की अधिकारी है। इस मामले में यह महत्वपूर्ण है कि याचिनी के बांये पैर की हडडी टूटी गयी थी तथा उसका लगभग 8 महीने उपचार चला था, उसे मानसिक वेदना व दर्द

के लिए प्रतिकर दिलाया जाना चाहिए। इसलिये मेरे विचार से याची को दर्द एवं

मानसिक वेदना के लिए अंकन रूपये 5,000/– (पांच हजार) दिलाया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। इस प्रकार याची को कुल प्रतिकर धनराशि अंकन रूपये 6,39,276/–(छःलाख उन्तालिस हजार चार सो छिहत्तर)+रूपये 15000(पन्द्रह हजार)+रूपये 5,000(पांच हजार)= रूपये 6,59,476/–(छः लाख उन्सठ हजार चार सो छिहत्तर)रूपये दिलाया जाना न्यायोचित होगा। प्रतिकर की इस धनराशि पर याची याचिका प्रस्तुत किए जाने की दिनांक से वास्तविक वसूलयाबी तक 7(सात) प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज पाने की अधिकारी होगी।

प्रतिकर की उक्त धनराशि मय ब्याज विपक्षी सं0 3 बीमा कम्पनी अदा करने की उत्तरदायी होगी। तद्नुसार वाद–बिन्दु सं05 निर्णीत किया जाता है।

आदेश

याचिका आंशिक रूप से रूपये 6,59,476/–(छः लाख उन्सठ हजार चार सो छिहत्तर) रूपये प्रतिकर के लिए स्वीकार की जाती है। याचिनी प्रतिकर की उक्त धनराशि पर याचिका प्रस्तुत करने की दिनांक से वास्तविक अदायगी तक 7(सात) प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी प्राप्त करने की अधिकारी होगी विपक्षी संख्या–3 बीमा कम्पनी को आदेश दिया जाता है कि वह एक माह के अन्दर प्रतिकर की उक्त धनराशि मय ब्याज अधिकरण में जमा कर दे, जैसा कि धारा 168(3) मोटर यान अधिनियम 1988 द्वारा अपेक्षित है।

धारा 173 (1) मोटर यान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अवधि 90 दिन निर्धारित है। अतः याचिनी उपरोक्तानुसार जमा धनराशि को नियमानुसार बाद मियाद अपील 90 दिन पाने की अधिकारी होगी।

खर्चा याचिका पक्षकार अपना–अपना स्वयं वहन करेगें।

इस केस में यदि कोई प्रतिकर पूर्व में अदा किया गया हो तो उसे प्रतिकर की धनराशि में समायोजित किया जाये।

दिनांक –07–2017

(राजीव शर्मा)
मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण/
अपर जिला जज, कोर्ट नं01,
बिजनौर।

उक्त निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक –07–2017

(राजीव शर्मा)
मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण/
अपर जिला जज, कोर्ट नं01,
बिजनौर।

दिनांक 13—07—2017 (राजीव शर्मा)
मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण/
अपर जिला जज, कोर्ट नं01,
बिजनौर।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक 13—07—2017 (राजीव शर्मा)
मोटर दुर्घटना क्लेम अधिकरण/
अपर जिला जज, कोर्ट नं01,
बिजनौर।